

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 193-2020/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 (7 पौष, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं।

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं।

भाग III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का. आ. 59 / ह. अ. 16 / 1994 / धा. 3 / 2020 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 नगर 331—333 निगम, गुरूग्राम के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने बारे।

भाग IV शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

संख्या का० आ० 59/ह०अ० 16/1994/धा० 3/2020.— हिरयाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 3 की उप—धारा (3) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नगर निगम, गुरूग्राम से परामर्श करने के बाद, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए अनुसार सीमाओं को परिवर्तित करते हुए नगर निगम, गुरूग्राम के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

नगर निगम, गुरुग्राम की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या एम० सी० जी०/टी० पी०/2020/62, दिनांक 01.12.2020 से संलग्न प्रति में चिन्हित बिन्दु **ए'** से **'आई'** तक दर्शाई गई सीमाओं के साथ पढ़ा जायेगा।

बिन्दु 'ए' जोकि दिल्ली राज्य की दक्षिणी सीमा, नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान सीमा तथा ग्राम बजघेड़ा की राजस्व सीमा का मिलन बिन्दु है से आरम्भ होकर, दिल्ली राज्य की दक्षिणी सीमा तथा ग्राम बजघेड़ा की राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जहाँ यह नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान पश्चिमी सीमा से मिलती है, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर नगर निगम, गुरुग्राम की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक, जहाँ से आरम्भ हुई थी।

उसके बाद फिर बिन्दु 'सी' जहाँ पर ग्राम बाबूपुर की राजस्व सीमा तथा दिल्ली राज्य की दक्षिणी सीमा नगर निगम गुरुग्राम की वर्तमान पिश्चमी सीमा से मिलती है, से आरम्भ होकर दिल्ली राज्य की दिक्षणी सीमा तथा ग्राम बाबूपूर, धर्मपुर तथा दौलताबाद की पिश्चमी राजस्व सीमाओं के साथ—साथ पिश्चम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'डी' तक, जोिक ग्राम बुढेड़ा तथा खेड़की माजरा की राजस्व सीमाओं का दिल्ली राज्य की दिक्षणी सीमा पर मिलन बिन्दु है, उसके बाद ग्राम धनकोट की पिश्चमी राजस्व सीमा के साथ—साथ दिक्षण तथा दिक्षण—पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'ई' तक, जहाँ यह नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान पिश्चमी सीमा से मिलती है, उसके बाद नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान पिश्चमी सीमा के साथ—साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'सी' तक, जहाँ से यह आरम्भ हुई थी।

उसके बाद बिन्दु 'एफ' जोकि ग्राम दरबारीपुर, हसनपुर तथा पलड़ा की राजस्व सीमाओं का तिराहा है, से आरम्भ होकर ग्राम पलड़ा की राजस्व सीमा के साथ—साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'जी' तक, जहाँ यह नगर निगम गुरुग्राम की वर्तमान दक्षिणी सीमा से मिलती है, उसके बाद नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'एफ' जहाँ से यह शुरु हुई थी।

उसके बाद बिन्दु 'एच' जोकि ग्राम भौंडसी तथा अकलीमपुर की राजस्व सीमाओं का नगर निगम गुरुग्राम की दक्षिणी सीमा पर मिलन बिन्दु है, से आरम्भ होकर ग्राम भौंडसी, कादरपुर तथा बेहरामपुर की राजस्व की सीमाओं के साथ—साथ पूर्व एवं उत्तर—पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दू 'आई' तक जहाँ यह नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान सीमा से मिलती है, उसके बाद नगर निगम, गुरुग्राम की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'एच' तक, जहाँ से यह आरम्भ हुई थी।

एस० एन० रॉय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised Engish Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th December, 2020

No. S.O. 59/H.A. 16/1994/S. 3/2020.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana in consultation with the Municipal Corporation, Gurugram hereby specify the area of Municipal Corporation, Gurugram by altering the limits as given below in the schedule, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries for Municipal Corporation, Gurugram shall be read with the drawing bearing no.MCG/TP/2020/62 dated 01.12.2020 showing thereon the limits marked as point 'A' to 'I'.


Starting from point 'A', which is the meeting point of Delhi State southern boundary, existing northern Municipal Corporation Gurugram boundary and the revenue boundary village Bajghera, thence along the southern boundary of Delhi State and the revenue boundary of village Bajghera upto Point 'B', where it meets existing boundary of Municipal Corporation Gurugram, thence towards north along the existing boundary of MCG upto point 'A', which is the point of start.

Then again starting from point 'C', where the revenue boundary of village Babupur and Delhi State boundary meet the existing MCG boundary, thence towards west along the southern boundary of Delhi State, also the western boundaries of villages Babupur, Dharampur and Daultabad, up to point 'D' i.e. the junction of the revenue boundaries of villages Budhera and Kherki Majra at the boundary of Delhi State, thence towards south and south-east along the western boundary of the revenue estate of village Dhankot up to the point 'E', where it meets boundary of the existing Municipal Corporation Gurugram, thence towards North along the existing boundary of Municipal Corporation Gurugram, upto point C, which is the point of start.

Then again starting from point 'F', which is tri-junction of revenue boundaries of villages Darbaripur, Hasanpur and Palra at existing MCG boundary, thence moving along the southern revenue boundary of Village Palra upto point 'G', where it meets the existing boundary of Municipal Corporation Gurugram, thence along the existing boundary of Municipal Corporation Gurugram upto point 'F', which is the point of start.

Then again starting from point 'H', which is the point of intersection of revenue boundaries of village Bhondsi and Aklimpur at the existing Municipal Corporation Gurugram boundary, thence moving south and south-eastwards along the revenue boundaries of village Bhondsi, Kadarpur and Behrampur upto the point 'I', where it meets the existing boundary of Municipal Corporation Gurugram, thence along the existing boundary of Municipal Corporation Gurugram upto point 'H', which is the point of start.

S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.



9014—L.R.—H.G.P., Pkl.